



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02062023-246251
CG-DL-E-02062023-246251

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2298]
No. 2298]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 2, 2023/ज्येष्ठ 12, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 2, 2023/JYAISHTHA 12, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2023

सं. 10 / 2023

विषय: आईटीसी (एचएस) 2022-अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 27 के तहत आयात नीतिगत शर्त संख्या 6 (पेट कोक) में संशोधन।

का.आ. 2408(अ).—समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस), 2022, की अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय-27 की नीतिगत शर्त संख्या 6 में निम्नानुसार संशोधन करती है:—

मौजूदा नीतिगत शर्त संख्या 6	संशोधित नीतिगत शर्त संख्या 6
ईंधन प्रयोजन के लिए पेट कोक का आयात निषिद्ध है। तथापि, पेटकोक का आयात केवल वास्तविक प्रयोक्ता आधार पर फीडस्टॉफ के रूप में या विनिर्माण प्रक्रिया में उपयोग के लिए सीमेंट, चूने की भट्टी, कैल्सियम कार्बाइड, गैसीकरण उद्योग और ग्रैफाइट	ईंधन प्रयोजन के लिए पेट कोक का आयात 'निषिद्ध' है। तथापि, निम्नलिखित श्रेणियों के पेट कोक को आयात की शर्तों के अधीन अनुमति दी जाएगी: क. पेटकोक का आयात केवल वास्तविक प्रयोक्ता आधार पर फीडस्टॉफ के रूप में या विनिर्माण प्रक्रिया में उपयोग के लिए

<p>इलेक्ट्रोड उद्योग के लिए "मुक्त" है। इसके अतिरिक्त, अल्युमिनियम उद्योग अधिकतम 0.5 मी.ट. प्रति वर्ष कैल्सिनेटेड पेट कोक का आयात कर सकती है और कैल्सिनेटेड पेट कोक विनिर्माण यूनितें अधिकतम 1.4 मी.ट. प्रतिवर्ष कच्चे पेट कोक का आयात कर सकती हैं। ऐसे आयातों का विनियमन और निगरानी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के का.ज्ञा.सं. क्यू-18011/54/2018-सीपीए, दिनांक 10 सितम्बर, 2018 के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।</p>	<p>सीमेंट, चूने की भट्टी, कैल्सियम कार्बाइड, गैसीकरण उद्योग और ग्रैफाइट इलेक्ट्रोड उद्योग के लिए "मुक्त" है।</p> <p>ख. अल्युमिनियम उद्योग अधिकतम 0.5 मी.ट. प्रति वर्ष कैल्सिनेटेड पेट कोक का आयात कर सकती है और कैल्सिनेटेड पेट कोक विनिर्माण यूनितें अधिकतम 1.4 मी.ट. प्रतिवर्ष कच्चे पेट कोक का आयात कर सकती हैं।</p> <p>ग. नीडल पेट कोक (एनपीसी) का आयात (एचएस कोड 27131190 के तहत) फीडस्टॉक/कच्चे माल के रूप में लीथियम-आयन बैटरी के लिए ग्रेफाइट एनोड सामग्री बनाने के लिए 'मुक्त' है और ईंधन या व्यापार के लिए उपयोग सहित किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। एनपीसी में सल्फर की मात्रा 0.8% से कम होनी चाहिए, जिसकी निगरानी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/सीपीसीबी द्वारा की जाएगी।</p> <p>घ. लो सल्फर पेट कोक (एचएस कोड 27131190 के तहत) का आयात 'प्रतिबंधित' है और एकीकृत इस्पात संयंत्रों (आईएसपी) में उपयोग के लिए डीजीएफटी से आयात प्राधिकार पत्र के अधीन केवल डीसल्फराइजेशन प्लांट से लैस रिकवरी टाइप कोक ओवन में कोकिंग कोल के साथ मिश्रण करने की अनुमति है और ईंधन के रूप में या व्यापार के उद्देश्य सहित किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। पेट कोक सल्फर सामग्री के साथ कोक ओवन के लिए पेट कोक का उपयोग इसके फीडस्टॉक के 10% तक सीमित होगा, जो 3% से अधिक नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, सल्फर डाइऑक्साइड के मापन के लिए निरंतर विश्लेषक उन प्रक्रियाओं के क्रम में स्थापित किए जाएंगे जहां अपशिष्ट/प्रक्रिया गैसों की निगरानी एसपीसीबी/सीपीसीबी द्वारा की जाएगी। इस्पात उद्योग, या तो आईएसपी या अन्य इस्पात उत्पादकों द्वारा ईंधन या व्यापार के लिए कम सल्फर पेटकोक का उपयोग नहीं किया जाएगा।</p> <p>ऐसे पेटकोक आयातों का विनियमन और निगरानी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के का.ज्ञा.सं. क्यू-18011/54/2018-सीपीए, दिनांक 10 सितम्बर, 2018 के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।</p>
---	---

2. अधिसूचना का प्रभाव:

ईंधन प्रयोजन के लिए पेट कोक का आयात 'निषिद्ध' है। तथापि, आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 27 की नीतिगत शर्त 6 में संशोधन किया गया है ताकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित निबंधन और शर्तों के अधीन फीडस्टॉक/कच्चे माल के रूप में लीथियम-आयन बैटरी के लिए ग्रेफाइट एनोड सामग्री निर्माण के लिए नीडल पेट कोक और डीसल्फराइजेशन प्लांट से लैस रिकवरी टाइप कोक ओवन में कोकिंग कोल के साथ मिश्रित करने के लिए केवल एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा सल्फर पेट कोक के आयात की अनुमति दी जा सके।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/93/180/03/एम-10/पीसी-2(क) भाग-IV/ई-35305]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2023

No. 10 /2023

Subject: Amendment in Import Policy Condition 6 (Pet Coke) under Chapter 27 of Schedule –I (Import Policy) of ITC (HS) 2022.

S.O. 2408(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the Policy Condition 6 of Chapter 27 of Schedule –I (Import Policy) of ITC (HS) 2022 as under:

Existing Policy Condition 6	Revised Policy Condition 6
<p>Import of pet coke for fuel purpose is prohibited. However, import of Pet coke is free for cement, lime kiln, calcium carbide, gasification industries and graphite electrode industries for use as feed stock or in the manufacturing process only on Actual User basis. Further, Aluminium industry can import Calcined Pet Coke not exceeding 0.5 MT per annum and Calcined Pet coke manufacturing units can import raw pet coke not exceeding 1.4MT per annum. Regulation and monitoring of such imports will be as per the guidelines of Ministry of Environment, Forest and Climate Change issued vide O.M. No. Q-18011/54/2018-CPA dated September 10, 2018</p>	<p>Import of pet coke for fuel purpose is 'Prohibited'. However, import of Pet coke of the following categories shall be permitted, subject to conditions : Import of Pet coke is 'Free' for cement, lime kiln, calcium carbide, gasification industries and graphite electrode industries for use as feed stock or in the manufacturing process only on Actual User basis.</p> <p>Aluminium industry can import Calcined Pet Coke not exceeding 0.5 MT per annum and Calcined Pet coke manufacturing units can import raw pet coke not exceeding 1.4 MTs per annum.</p> <p>Import of Needle Pet Coke (NPC) (under HS Code 27131190) is 'Free' for making graphite anode material for Li-Ion battery as feedstock /raw material and not for any other purposes including use as a fuel or for trade. The Sulphur content in the NPC should be less than 0.8% which shall be monitored by State Pollution Control Boards (SPCBs)/CPCB.</p> <p>Import of Low Sulphur Pet Coke (under HS Code 27131190) is 'Restricted' and permitted subject to Import Authorisation from DGFT for use in Integrated Steel Plants (ISP) only for blending with the coking coal in recovery type coke ovens equipped with desulphurisation plant and not for any other purpose including use as fuel or for trade purpose. Use of pet coke shall be limited to 10% of its feedstock to the coke oven with pet coke sulphur content not exceeding 3%. Additionally, continuous analysers for measurement of sulphur dioxide shall be installed in the stacks of processes where waste / process gases which shall be monitored by SPCBs/CPCB. Low Sulphur Pet Coke shall not be used by the Steel Industry, either ISP or other steel producers, as fuel or for trade.</p> <p>Regulation and Monitoring of such Pet Coke imports shall be as per the guidelines of MoEF&CC, issued vide its OM No.Q-18011/54/2018-CPA dated 10.09.2018.</p>

2. Effect of the Notification:

Import of pet coke for fuel purpose is 'Prohibited'. However, Policy Condition 6 of Chapter 27 of Schedule-I (Import Policy) of ITC (HS) 2022 has been amended to allow import of Needle Pet Coke for making graphite anode material for Li-Ion battery as feedstock/raw material, and Low Sulphur Pet Coke by integrated steel plants only for blending with the coking coal in recovery type coke ovens equipped with desulphurisation plant, subject to terms and conditions set out by MOEF&CC.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/93/180/03/AM-10/PC-2(A)Part-IV/E- 35305]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.